न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 04 / 2018 नामान्तरकरण अपील

1. बद्री पुत्र बीणानाथ
2. पप्पू पुत्र कल्याण सहाय
3. राधेश्याम पुत्र कल्याण सहाय
4. दख्खी देवी पत्नि कल्याण सहाय
   जाति जोगी निवासी अरनियां तहसील बसवा जिला दौसा

अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामचरण पुत्र किशनगोपाल जाति महाजन निवासी अरनियां तह. बसवा जिला दौसा
2. सरवणी पुत्री गणेश पत्नि कल्याण सहाय जाति महाजन निवासी टोरडा तहसील सिकराय हाल निवासी श्री कल्याण सहाय खण्डेलवाल 243 शोपिंग सेन्टर कोटा (राज.)
3. तहसीलदार बसवा
4. रमेश
5. बनवारी
6. लक्ष्मण
7. हरिराम
8. शिवरतन
9. पूनी देवी पत्नि रामसहाय

   (4 से 9 तक) पि. रामसहाय — समस्त जाति जोगी निवासी अरनिया तहसील बसवा जिला दौसा

10. केदार पुत्र बद्री जाति महाजन निवासी अरनियां तहसील बसवा जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश उप तहसीलदार बांदीकुई बाबत नामान्तरकरण सं. 1099 दिनांक 28.08.2017 वाकै ग्राम अरनियां तहसील बसवा जिला दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति :— 1. श्री मिठ्ठन लाल गुर्जर अधिवक्ता अपीलान्ट्स ।
2. श्री वरूण नागर अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 01।
3. श्री दिनेश शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 04,05,06,07।
4. श्री बच्चूलाल मीना अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 10।

—:निर्णय:— दिनांकः 04.01.2019

(प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति)

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट्स की ओर से नामान्तरकरण सं. 1099 दिनांक 28.08.2017 ग्राम अरनियां तहसील बसवा के विरूद्ध अपील पेश कर निवेदन किया गया की ग्राम अरनियां स्थित सहखातेदारी भूमि ख.न. 2253 रकबा 0.15 है0, ख.न. 2254 रकबा 0.06 है0, ख.न. 2256 रकबा 0.05 है0, ख. न. 2257 रकबा 0.04 है0, ख.न. 2258 रकबा 0.04 है0 कुल किता 05 रकबा 0.34 है0 के सहखातेदार गणेश पुत्र नारायण सहाय महाजन निवासी अरनियां का देहान्त दिनांक

अति० जिला कलक्टर

02.12.1984 को हो जाना तथा पटवारी हल्का द्वारा सजरा विरासत के अनुसार रेस्पोडेन्ट नं0 1 रामचरण पुत्र किशनगोपाल एवं सरवणी पुत्री गणेश के नाम प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। जबकि गणेश के कोई पुत्र सन्तान नहीं थी। फिर भी रेस्पोडेन्ट नं0 1 रामचरण द्वारा अपने आपको गणेश का वारिस होना बताते हुए नामान्तरकरण तस्दीक करवा लिया। आराजी उक्त के अपने हिस्सा 13 बिस्वा में से 3 बिस्वा में शिवालय का निर्माण करवाके तब से करीब 55–60 वर्ष पहले शिव पंचायत की स्थापना करवाकर अपीलान्ट सं0 2, 3 के पिता कल्याण सहाय व अपीलान्ट सं0 4 का पति कल्याण सहाय एवं रेस्पोडेन्ट सं0 4 लगायत 9 के पिता पति रामसहाय को शिव स्थापना के रोज बुलवाकर शिवजी की पूजा हेतु 10 बिस्वा भूमि का संकल्प दान पत्र बहक रामसहाय, कल्याण सहाय, बदरी पि0 बीनानाथ जाति जोगी निवासी अरनिया अपीलान्ट्स के हक में किया गया था। तब से आज दिन तक वाहमी बंटवाराशुदा आराजी पर काबिज होकर लगातार काश्त करते रहे। इस तथ्य की जानकारी रेस्पोडेन्ट नं0 1, 2 व सहखातेदारान को भी रहती चली आ रही है। प्रश्नगत आराजी पर चारो तरफ पुख्ता मकान, पाटोल, छप्परपोश एवं चद्दरपोश बनाकर रहवास की जा रही है। रेस्पोडेन्ट रामचरण व सरवणी का कब्जा नहीं है। उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 05.02.2018 को रेस्पोडेन्ट नं0 1, 2 द्वारा न्यायालय एसडीओ बांदीकुई के समक्ष अपीलान्ट व सहखातेदारों के विरूद्ध अपने आप को खातेदार बताकर दावा पेश किया गया और उसके नोटिस पाबन्दी हेतु आने पर उक्त नामान्तरकरण की जानकारी मिलने पर नामान्तरकरण सं. 1099 दिनांक 28.08.2017 वाकै ग्राम अरनियां तहसील बसवा के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। रेस्पोडेन्ट नं0 2, 3 व 8, 9 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुये। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति पेश किया गया। प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति पर अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा प्रार्थना पत्र आपत्ति के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि उक्त अपील मृतक गणेश के विरासत के नामान्तरकरण के विरूद्ध पेश की गई है। अपीलान्ट मृतक गणेश का उत्तराधिकारी नही है एवं इसे उक्त अपील को प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलान्ट उक्त अपील को प्रस्तुत करने के लिये कानूनन एग्रीव्ड भी नहीं है एवं अपीलान्ट की ओर से धारा 96 का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं हुआ है। इसलिये बगैर अनुमति अपील अपीलान्ट चलने योग्य नहीं है। कानूनन कोई भी व्यक्ति कथित प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी अपील नामान्तरकरण प्रस्तुत करने के लिये एग्रीव्ड नहीं है। इसलिये अपील प्रारम्भिक तौर पर ही निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट प्रारम्भिक तौर पर अपीलान्ट के एग्रीव्ड नहीं होने व न्यायालय की अनुमति नहीं लेने के आधार पर खारिज फरमायी जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 2018(1) CJ(Civ)(SC) 44 State of Uttarakhand & Anr. vs Mandir Sri Laxman Sidh Mahraj पेश किया गया।

जवाब बहस में अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलान्ट प्रश्नगत नामान्तरकरण आदेश से व्यथित है एवं व्यथित व्यक्ति को अपील पेश करने के अधिकार कानूनन प्राप्त है। अपीलान्ट को प्रश्नगत नामान्तरकरण से पूर्व सुना नहीं गया जबकि श्री गणेश पूर्व खातेदार द्वारा वादग्रस्त आराजी का आज से 50–55 वर्ष पूर्व दान कर कब्जा करा दिया व आराजी पर अपीलान्ट्स का ही कब्जा–काश्त है। मकानात

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अति0 जिला कलक्टर

व पाटोल आदि बने हुए है। अपीलान्ट हितबद्ध व्यक्ति होने के कारण कानूनन अपील पेश करने के अधिकारी है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश करते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी को अपील पेश कर सुनवाई की अनुमति प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये:—

1- D.N.J. 2014(3)Raj Page 857
2- R.R.D. 1995 Page 179
3- R.R.D. 1984 Page 188

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं अधिवक्तागण उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का अवलोकन किया। जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी को वाद सम्पत्ति के स्वामित्व के अधिकारो की घोषणा प्रदान नहीं की जा सकती है। अपीलान्ट्स को अनुतोष प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर चाराजोही करनी चाहिए थी। अपीलान्ट्स द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 1099 दिनांक 28.08.2017 ग्राम अरनियां के विरूद्ध अपील पेश की गई है। जो कि विरासत का नामान्तरकरण है। नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रोसिंडिंग हैं अपीलान्ट्स विरासत के नामान्तरकरण के आधार पर एग्रीव्ड नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार होने से प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 1099 दिनांक 28.08.2017 ग्राम अरनियां के विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील भी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 04.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा